

प्रेस विज्ञप्ति

मण्डल रेल प्रबन्धक लखनऊ की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के बहुद्देशीय हाल में आज दिनांक 16.12.2024 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित एवं सहायतार्थ 46 वीं पेंशन अदालत को सफल आयोजन किया गया।

इस अदालत में कुल 98 भूतपूर्व कर्मचारियों या उनके आश्रितों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनमें कुल 06 भूतपूर्व कर्मचारियों/आश्रितों को 14,30,830 रु धनराशि का भुगतान किया गया एवं 16 भूतपूर्व कर्मचारियों/आश्रितों के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए तथा 15 मामलों में संबंधित बैंक को सही भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। 20 मामलों में दावा मान्य नहीं पाया गया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री राहुल यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सहायक कार्मिक अधिकारी श्री प्रमोद कुमार भारती ने प्रत्येक मामले की समीक्षा प्रस्तुत की। मण्डल वित्त प्रबन्धक श्री उमेश कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस अवसर पर कार्मिक एवं लेखा विभाग के सभी अधिकारी, मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधि तथा बैंक व पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के साथ-साथ पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

Press Release

46th Pension Adalat was organized in Lucknow Division of N.E.Railway on 16th Dec 2024 for prompt and speedy redressal of grievances received from Railway Pensioners/their dependents. It was presided over by DRM Shri Aditya Kumar.

Opening address with brief of event was made by Shri Rahul Yadav Sr. DPO.

A total of 98 applications were received and total Amount Rs.14,30,830/- has been paid to the retired staff/their dependents against their claims. In addition to this 16 PPOs were also issued and fresh instructions issued to concerning Bank in 15 cases. However in 20 cases claim were not found admissible.

Shri Pramod Kumar Bharti, APO conducted the proceedings of Pension Adalat. DFM Shri Umesh Kumar extended the vote of thanks.

On this occasion all officers of Personnel and Accounts department, representative of recognized Union, Pensioner association, other associations Officers from Banks, Postal Department were also present.